नीति:		
समाधान चर्चाएं और कार्यवाही पर रोक		
नीति कोड: **RES 1**	प्रभावी होने का दिनांक: मार्च 1, 2018	पार-संदर्भ: ALT 1 APP 1 CHA 1 DAN 1 DIS 1 FIR 1

समाधान चर्चाओं का परिणाम प्रायः गिल्टी प्ली (दोषी दलील) में अथवा आरोपी द्वारा कम से कम उन तथ्यों को स्वीकार कर लेने के रूप में होता है जिन्हें अन्यथा क्राउन को साबित करना पड़ता। आरोपों के जल्दी समाधान से पीड़ितों और गवाहों का तनाव एवं असुविधा कम होती है और इसका परिणाम उन मामलों में अधिक दक्ष न्याय प्रणाली के रूप में होता है जहां सुनवाई या तो जरूरी नहीं होती या अपेक्षाकृत छोटी होती हैं क्योंकि कार्यवाही उन तथ्यों पर केंद्रित होती है जो स्पष्ट रूप से समस्या होते हैं।

> *"फौजदारी न्याय प्रणाली में क्राउन और बचाव काउंसल के बीच समाधान चर्चाएं न केवल आम होती हैं, बल्कि वे जरूरी भी होती हैं। यदि उचित रूप से चलाई जाएं, तो वे प्रणाली को सुगमतापूर्वक और दक्षता के साथ काम करने में मददगार होती हैं"* (*आर.वी एन्थनी-कुक*, 2016 SCC 43)।

समाधान चर्चाओं में क्राउन काउंसल और बचाव पक्ष के काउंसल के बीच सभी चर्चाएं शामिल हैं जो तय किए गए आरोपों और उनकी संभावित मनोवृत्ति से संबंधित हो सकते हैं। इसके उदाहरणों में शामिल हैं:

- किसी आरोप को घटाकर हल्का करना या पहले से शामिल अपराध के बराबर लाना
- *क्रिमिनल कोड* की धारा 606(4) में प्राधिकृत किए गए अनुसार किसी भिन्न अपराध की याचिका स्वीकार करना
- अन्य आरोपों को वापस लेना या रोक देना
- अन्य आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध किसी आरोप पर आगे न बढ़ने या रोक देने या वापस लेने पर सहमत होना
- बहुत से आरोपों को घटाकर एक सर्व-समावेशी "संपूर्ण" आरोप में बदल देना
- किसी आरोप को वापस लेने पर सहमत होना अथवा कुछ विशेष अपराधों पर कार्य पर रोक का निर्देश देना लेकिन अन्य अपराधों पर उन ठोस तथ्यों का आधार लेकर आगे बढ़ना जो वापस लिए गए या स्थगित किए गए आरोपों का आगे बढ़ाए जाने वाले अपराधों के मामले में सजा देने हेतु प्रेरक कारकों के रूप में समर्थन करते थे
- मामले को किसी विनिर्दिष्ट भावी तारीख पर निपटाने पर सहमत होना यदि, रिकॉर्ड पर, आरोपी व्यक्ति उचित समय के भीतर सुनवाई के अधिकार का त्याग कर देता है
- अधित्याग संबंधी नीति के अनुसार आरोपों के अधित्याग पर सहमतहोना

- एक विशेष रेंज की सजा या विशिष्ट सजा की सिफारिश करना

समाधान चर्चाओं के समय, क्राउन काउंसल के लिए जरूरी है कि वह हमेशा जनहित में कार्य करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फौजदारी न्याय प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुरक्षित रहे और कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिससे न्याय प्रदानगी का नाम बदनाम हो।

क्राउन काउंसल को जोरदार रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वह शीघ्र, सिद्धांत आधारित और जानकारीयुक्त चर्चाएं आरंभ करे। ऐसा करते समय, उसे निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

- *डिस्क्लोशर* (DIS 1) पर नीति के अनुरूप, आरोपी को पूरा खुलासा करना, जो कार्यवाही के चरण के उपयुक्त हो
- केवल उन आरोपों पर दोष की याचिका स्वीकार करना जो *चार्ज असेसमेंट गाइडलाइन्स* (CHA 1) की नीति में दिए गए आरोप निर्धारण मानकों को पूरा करना जारी रखे हुए हैं
- यह सुनिश्चित करना कि आरोपी व्यक्ति प्रस्तावित दोष की याचिका के संबंध में कानूनी और तथ्यात्मक अपराध स्वीकार कर ले
- यह सुनिश्चित करना कि जिस अपराध(धों) पर आरोपी अपराध स्वीकार करता है वे उचित प्रकार से आरोपी का साबित करने योग्य आपराधिक आचरण दर्शाते हों और परिस्थितियों को देखते हुए एक उपयुक्त सजा रेंज उपलब्ध कराते हों
- बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस की उन अन्य नीतियों को ध्यान में रखना जो विशिष्ट, बताए गए अपराधों के संबंध में समाधान चर्चा पर लागू होती हों और यह सुनिश्चित करना कि उन नीतियों में अंतर्निहित दिशानिर्देशों का सम्मान किया जाए (उदाहरण के लिए, *फायरआर्म्स - मैन्डटोरी मिनिमम सन्टेन्सेज - कन्सेक्यटिव सन्टेन्सेज - नोटिस ऑफ ग्रेटर पेनल्टी*(FIR 1), *डेन्जरस अफेन्डर एंड लॉन्ग-टर्म अफेन्डर ऐप्लीकेशंस* (DAN 1), ऑल्टरनेटिव मेशर्ज़ फॉर ऐडल्ट अफेन्डर्स (ALT 1))
- किसी उपयुक्त सजा को तय करने में न्यायालय की सहायता के लिए, यह सुनिश्चित करना कि न्यायालय को सभी प्रासंगिक जानकारी दी जाए, जिसमें प्रेरक परिस्थितियां शामिल हैं (उदाहरण के लिए, हथियार का प्रयोग) जिन्हें क्राउन साबित कर सकने की स्थिति में हो
- यह समझना कि कानून की दृष्टि से एक दोष की याचिका सामान्यतः सजा की गंभीरता को कम करने वाला कारक माना जाता है, विशेष रूप से वहां जहां शीघ्रातिशीघ्र अवसर मिलने पर आरोपी व्यक्ति दोष मान ले। क्राउन के सजा देने संबंधी मत में यह सिद्धांत निम्न प्रकार से प्रदर्शित होना चाहिए:
    - सिद्धांत आधारित और जानकारीयुक्त समाधान चर्चाओं में शामिल होने से पहले, क्राउन काउंसल को तय करना चाहिए कि यदि सुनवाई के बाद दोषसिद्ध होता है तो विशिष्ट आरोपी के लिए कानूनी तौर पर उचित सजा की रेंज क्या होगी
    - निश्चित तारीख अथवा अभियोग से पहले, किसी शीघ्र दोष याचिका के लघुकरण का पूरा लाभ क्राउन के शीघ्र सजा के मत में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि मामलों के यथाशीघ्र समाधान को उचित प्रोत्साहन दिया जा सके और आरोपी द्वारा जिम्मेदारी स्वीकार करना दिखाया जा सके

  - निश्चित तारीख अथवा अभियोग के बाद, जब सुनवाई या मुकदमे की तारीख नजदीक आती है, और सुनवाई की तैयारी से जुड़ा कार्य, खर्च तथा गवाहों और पीड़ितों पर प्रभाव बढ़ता है, दोष याचिका का लघुकरण प्रभाव कम होता है और सजा की रेंज पर क्राउन के मत को कानूनी तौर पर उपयुक्त सुनवाई-पश्चात रेंज के और निकट आना चाहिए
  - असाधारण परिस्थितियों, अथवा परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन अथवा क्राउन के मामले की मजबूती के सिवाय, शीघ्र दोष याचिका के लिए दिया जा रहा पूरा लाभ को सामान्यतः ऐसी दोष याचिका के लिए नहीं दिया जाना चाहिए जो सुनवाई या मुकदमे की तारीख पर, या उससे थोड़ा सा पहले आती हो

- न्यायालय को कानूनी तौर पर उचित सजा रेंज के संबंध में क्राउन का निवेदन उपलब्ध कराना और इस बारे में एक सिफारिश भी कि उस रेंज के भीतर, कहां प्रासंगिक प्रेरक और लघुकारी परिस्थितियों के दृष्टिगत सजा के सिद्धांत सबसे अच्छी तरह पूरे होते हैं, जिसमें किसी शीघ्र दोष याचिका की मान्यता भी शामिल है। मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, सजा पर क्राउन की सिफारिशों में *कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स* की धारा 11(b) को भी ध्यान में रखा जा सकता है तथा वह समयावधि भी जबसे मामला सुनवाई हेतु प्रतीक्षारत है
- सजा की सटीक लंबाई या स्वरूप पर अथवा वित्तीय जुर्माने की राशि पर एक संयुक्त निवेदन करने पर केवल वहां सहमति देना जहां संतुष्ट हों कि संयुक्त निवेदन जनहित में उपयुक्त है और, विशेष रूप से उसके कारण न्याय प्रदानगी का नाम बदनाम नहीं होगा। क्राउन काउंसल द्वारा न्यायालय को संयुक्त निवेदन के विश्लेषण के मूल में मौजूद सैद्धांतिक कानूनी आधार के बारे में सलाह देनी चाहिए ताकि न्यायालय और जनता के सदस्य संयुक्त निवेदन के लिए सहमत होने के निर्णय को तुरंत समझ सकें
- किसी भी ऐसी व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने से परहेज करना जो किसी अपील को शुरू करने के अटॉर्नी जनरल के विवेक में रोकटोक के इरादे से की गई हो जब तक कि ऐसी व्यवस्था के लिए अग्रिम रूप से असिस्टेंट डेप्युटी अटॉर्नी जनरल का लिखित अनुमोदन न ले लिया गया हो (*अपील बाई क्राउन टु दि कोर्ट ऑफ अपील एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा* (APP 1))

इसके अलावा, जहां आपराधिक गतिविधि का परिणाम अनेक आरोपों को तय करने के रूप में हुआ हो, यद्यपि किसी विशेष आरोप पर दोषसिद्धि की पर्याप्त संभावना हो सकती है, लेकिन क्राउन काउंसल उस आरोप पर कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दे सकता है और आरोपों की या शामिल किए गए अपराधों की घटाई गई संख्या की याचिका स्वीकार कर सकता है बशर्ते क्राउन काउंसल यह सुनिश्चित करे कि जिन अपराधों के लिए आरोपी दोष स्वीकार करता है वे आरोपी के आपराधिक आचरण को उचित रूप से दर्शाते हैं और सभी परिस्थितियों के दृष्टिगत उचित सजा श्रेणी उपलब्ध कराते हैं।

पीड़तों और पुलिस को जानकारी

कैनेडियन विक्टिम्स बिल ऑफ राइट्स की धारा 14 और 19(1) के तहत तथा *क्रिमिनल कोड* की धारा 606 (4.1) से 606(4.4) के तहत, फौजदारी न्याय प्रणाली में उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा दिए जाने वाले उन निर्णयों के बारे में जो अधिनियम के तहत पीड़ित के अधिकारों को प्रभावित करते हों, प्रत्येक पीड़ित को अपने विचार बताने का अधिकार है, और यह अधिकार है कि उसके विचारों पर कानून में उपलब्ध कराई गई प्रक्रियाओं के जरिए विचार किया जाए।

उन मामलों में जहां गंभीर चोट अथवा मनोवैज्ञानिक नुकसान शामिल हो, समाधान चर्चा का निष्कर्ष देने अथवा कार्यवाही पर रोक का निर्देश देने से पहले, प्रस्तावित समाधान के बारे में पीड़ित को, अथवा पीड़ित के प्रतिनिधि को, और पुलिस को या अन्य जांच एजेंसी को सूचित करने के लिए क्राउन काउंसल द्वारा उचित कदम उठाए जाने

चाहिए, यह अवसर दिया जाना चाहिए के वे क्राउन काउंसल के समक्ष कोई भी चिंता या आशंका व्यक्त कर सकें, तथा उन्हें बताया जाना चाहिए कि वे जो भी चिंता या आशंका व्यक्त करेंगे उसे रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी को बताया जाएगा तथा उस पर उनके द्वारा विचार भी किया जाएगा। जहां पीड़ित, पीड़ित का प्रतिनिधि या जांच एजेंसी ने प्रस्तावित समाधान की समीक्षा करने की इच्छा व्यक्त करें वहां क्राउन वकील को तब तक समाधार चर्चाओं का निष्कर्ष तय नहीं करना चाहिए जब तक किसी किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी के साथ परामर्श नहीं कर लिया जाता। ऐसा इसलिए है कि यदि बाद में यह तय किया जाता है कि समझौता जनहित में नहीं है तो रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिसमें उन्हें एक पूरे किए गए समाधान समझौते को अस्वीकार करना पड़े।

नीचे दिए गए मामलों में, क्राउन काउंसल को कोई भी समाधान चर्चा पूरी करने अथवा कार्यवाही को रोक देने से पहले, किसी रीजनल क्राउन काउंसल, डायरेक्टर, अथवा उनके संबंधित डेप्युटी से परामर्श कर लेना चाहिए

- जहां आरोप हो कि आरोपी व्यक्ति मौत के लिए जिम्मेवार है; और
- किसी भी गंभीर आरोप के लिए जिसके बारे में यह निष्कर्ष रहा हो, अथवा जिसके बारे में वस्तुनिष्ठ कारक इस निष्कर्ष का समर्थन करते हों कि न्याय प्रदानगी की दृष्टि से उल्लेखनीय जन सरोकार होने की संभावना है

जहां क्राउन काउंसल को पीड़ित, पीड़ित के परिवार, या पुलिस या अन्य जांच एजेंसी द्वारा व्यक्त की गई किसी भी चिंता पर विचार करना चाहिए, वहीं उचित आरोप या वृत्ति का निर्णय इस नीति के अनुसार बीसी प्रासिक्यूशन सर्विस के पास रहेगा।

अस्वीकृति

किसी भी पूरे किए गए समाधान समझौते को विरले तौर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिए। अस्वीकार करने पर केवल वहां विचार किया जाना चाहिए, जहां रीजनल क्राउन काउंसल और असिस्टेंट डेप्युटी अटॉर्नी जनरल संतुष्ट हों कि समाधान समझौते से न्याय न्याय प्रदानगी का नाम बदनाम होगा। यदि यह परीक्षण पूरा हो गया है, तो अस्वीकार करें या नहीं इस निर्णय में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए - किस सीमा तक आरोपी को उसकी मूल स्थिति में बहाल किया जा सकता है, क्या अस्वीकार करने के तथ्य से काफी सीमा तक न्याय प्रदानकी की बदनामी हो सकती है, और क्या न्यायिक तथ्य के द्वारा प्रक्रिया के दुरुपयोग की वास्तविक संभाव्यता है।

बिना प्रतिनिधित्व का आरोपी

सामान्यत:, क्राउन काउंसल को किसी बिना प्रतिनिधित्व के आरोपी के साथ समाधान चर्चा करने में सावधानी बरतनी चाहिए (इसमें आरोपी को प्रारंभिक अभिरक्षा मत दस्तावेज (इनिशल सन्टेंसिंग डाक्युमेंट) उपलब्ध कराना शामिल नहीं है)। क्राउन काउंसल को आरोपी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह किसी भी समाधान चर्चा में सहायता के लिए काउंसल की सलाह ले। लेकिन, यदि आोरपी काउंसल की सलाह लेने से इनकार कर देता है और समाधान चर्चा शुरू करना चाहता है, तो क्राउन वकील को व्यवस्था करनी चाहिए कि चर्चा के दौरान कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित रहेगा या लिखित रूप से से चर्चा संचालित करनी चाहिए, जब तक कि ऐसा न कर सकने के उचित कारण मौजूद न हों। क्राउन काउंसल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चर्चाओं का रिकॉर्ड फाइल पर रखा जाए।

फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एक्ट का अनुपालन

सभी मामलों में, क्राउन काउंसल को रोकी गयी प्रत्येक कार्यवाही के कारण क्राउन फाइल में दर्ज करने चाहिए ताकि *फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एक्ट* की धारा 15(4) का पालन किया जा सके, जिसमें कहा गया है कि:

> *किसी सार्वजनिक निकाय के प्रमुख को किसी भी हाल में, पुलिस जांच पूरी होने के बाद, इस धारा के तहत सजा न देने के कारणों का खुलासा करने से निम्नलिखित को इनकार नहीं करना चाहिए:*
>
> *a) ऐसा व्यक्ति, जिसे जांच के बारे में जानकारी थी और जिसकी जांच में महत्वपूर्ण रुचि थी, इनमें पीड़ित अथवा पीड़ित का कोई रिश्तेदार या मित्र शामिल हैं; अथवा*
>
> *b) जनता का कोई भी अन्य सदस्य, यदि जांच का तथ्य सावर्जनिक कर दिया गया था।*